



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062020-219685
CG-DL-E-02062020-219685

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]
No. 262]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2020/ज्येष्ठ 12, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2020/JYAISHTHA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2020

सं. 26/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 341(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में, क्रम संख्या 21घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"21ड.	0713 40 00	मसूर	10%	-	-
21च	0713 40 00	मसूर, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित या वहां से निर्यातित	30%	-	-";

(ख) पहले परंतुक में, उपवाक्य (घ) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ड.) 31 अगस्त, 2020 के पश्चात उक्त सारणी के क्रम संख्या 21ड. और 21च के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुएं”

[फा. सं. 354/368/2017-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 मई, 2020, जिसे सा.का.नि. 296(अ), दिनांक 14 मई, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2020

No. 26/2020-Customs

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,

(a) in the Table, after serial number 21D and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“21E	0713 40 00	Lentils (Mosur)	10%	-	-
21F	0713 40 00	Lentils (Mosur) originating in or exported from United States of America	30%	-	-”;

(b) In the first proviso, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: -

“(e) the goods specified against serial numbers 21E and 21F of the said Table after the 31st day of August, 2020.”.

[F. No. 354/368/2017-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 23/2020-Customs, dated the 14th May, 2020, published *vide* number G.S.R.296(E), dated the 14th May, 2020.